

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 27/05/2019

क्रमांक एफ 16-07/2019/ए-ग्यारह:: राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश के द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये यह आवश्यक है कि बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) के कतिपय उपबंधों से बायलरों को अपवर्जित किया जाए;

अतएव: बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 34 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(2)-1-2001-ए-ग्यारह, दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद् द्वारा, ऐसे बायलरों को, जो संस्थापित किए गए हैं या जो भविष्य में संस्थापित किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 8 की उप-धारा (3),(4),(5),(6) एवं (7), धारा 10 की उप-धारा (1), धारा 14,15,16 एवं 22 के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है, अर्थात् :-

1. जब किसी बायलर के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रह जाता है, तब बायलर का मालिक बायलर का निरीक्षण करने के लिए किसी " बायलर इंजीनियर " को संबद्ध कर सकेगा जोकि विभागीय पोर्टल से नीचे दिए गए अनुसार डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी करेगा एवं बायलर मालिक को और संचालक, बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से पृष्ठांकित करेगा।

"बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र"

बायलर/इक्रोनोमाइजर का पंजीयन क्रमांक.....बायलर का प्रकार.....
बायलर की रेटिंग.....निर्माण का वर्ष एवं स्थान.....
अधिकतम निरंतर वाष्पीकरण.....
दुरुस्ती के ब्यौरे.....
दिनांक.....को.....किलोग्राम/वर्ग सेन्टीमीटर पर द्रव चालित परीक्षण किया गया।

निरंतर...2

0 61

बायलर मालिक का नाम.....पता.....दूरभाष क्रं.....

मोबाइल नं0.....ई-मेल का पता.....

क. पता जहां बायलर/इकोनोमाइजर स्थापित है.....

ख. " बायलर इंजीनियर" का नाम.....पता.....

दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल नं0.....ई-मेल का पता.....

ग. "बायलर इंजीनियर" का प्रमाण-पत्र....."।

मैंने मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक.....दिनांक.....के अंतर्गत अपेक्षित किए गए अनुसार बायलर मालिक के निवेदन पर बायलर/इकोनोमाइजर का निरीक्षण दिनांक.....को किया है और मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि बायलर/इकोनोमाइजर आगामी 12 माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक.....से दिनांक.....तक.....दाब पर उपयोग के लिए संचालित किए जाने हेतु उपयुक्त है।

बायलर इंजीनियर के हस्ताक्षर

बायलर आपरेशन इंजीनियर का प्रमाण पत्र क्रमांक

.....

दिनांक :

स्थान:.....

0-01
निरंतर.....3

2. "बायलर इंजीनियर" वह व्यक्ति होगा-
- (1) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक या उत्पादन या शक्ति संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक हो :
 - (2) बायलर आपरेशन इंजीनियर नियम, 2011 के अधीन अर्ह बायलर आपरेशन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण-पत्र धारित करता हो; और
 - (3) बायलर से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।
3. बायलर, इंजीनियर विभागीय पोर्टल (www.db.mp.gov.in/www.invest.mp.gov.in) या विभाग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं आगामी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करेगा।
4. बायलर मालिक द्वारा "बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र " निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन या अभिलेख के प्रयोजन के लिए किसी अन्य तरीके से संचालक बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. बायलर के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि बायलर अधिनियम, 1923 और अधिनियम के अधीन विरचित किए गए विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे चलाए तथा संधारित करे तथा मालिक उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार होगा।
6. "बायलर इंजीनियर", बायलर अधिनियम, 1923 तथा उसके अधीन विरचित किए गए नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुसरण करेगा तथा उक्त अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किए गए किसी कृत्य या चूक के लिए जबाबदेह एवं उत्तदायी होगा।
7. उपयोग किए जा रहे बायलर के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु बायलर मालिक या तो इस अधिसूचना के अनुसार "बायलर इंजीनियर" को या भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अनुसार "सक्षम व्यक्ति" को संबद्ध कर सकेगा।
8. सेवाओं के लिए देय फीस भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क में उल्लेखित के अनुसार होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(वही के बरोनिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

Govt. of Madhya Pradesh,
Department of Industrial Policy and Investment Promotion,
Mantralaya, Bhopal

//Notification//

Bhopal, Dated 27/05/2019

F-16-07/2019/A-11::The State Government is satisfied that for the rapid industrialization of Madhya Pradesh, it is necessary to exclude boilers from certain provisions of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923) and in supersession of this department's Notification No. F 2(2)-1-2001-A-XI, dated 6th December, 2001, the Government of Madhya Pradesh, hereby, excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provisions of sub-section (3),(4),(5),(6) and (7) of section 8, sub-section (1) of section 10, section 14,15,16 and 22 subject to the following conditions, namely:-

1. When a certificate for use of boiler ceases to be in force, the owner of the boiler may engage a " Boiler Engineer" for carrying out the inspection of boiler and issue the digitally signed certificate from the departmental portal as given below and would be endorsed to the Owner of the boiler and Director, Boiler/Chief Inspector Boiler through the online portal.

"Annual certificate of Boiler Engineer"

Registration number of Boiler/Economiser.....Type of

Boiler.....

Boiler Rating.....Place and year of manufacture.....

Maximum Continuous Evaporation.....

6-07-19

Details of repairs.....

Hydraulically tested on (DD/MM/YYYY).....to.....Kg/Cm²

Name.....,Address.....,Telephone No.....,Mobile No.....

E-mail address.....of "Boiler Owner"

A. Address where Boiler/Economiser is installed:.....

B. Name.....address.....Telephone No.....
Mobile No.....E-mail address.....of "Boiler Engineer"

C. Certificate of "Boiler Engineer"

I have inspected the above boiler/economizer on
at the request of the boiler owner as required under Notification No.....
dated.....of Government of Madhya Pradesh and I hereby
certify that the boiler/economizer is fit to operate for use at a pressure of
.....for a further period of 12 months i.e.
from.....

Signature of Boiler Engineer

Certificate number of Boiler Operation Engineer

Date:.....

Place:.....

cont.....3

O-621

2. "Boiler Engineer" shall be a person-
 - (1) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;
 - (2) Holds a certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer qualified under 'The Boiler Operation Engineer's Rules, 2011; and
 - (3) Minimum five years of experience in the field related to boilers.
3. Boiler Engineer shall register on the department's portal (www.db.mp.gov.in/www.invest.mp.gov.in) or any other portal designated by the department and complete the subsequent processes through the portal.
4. "Annual certificate from Boiler Engineer", shall be submitted by the owner of boiler to the Director Boiler/Chief Inspector Boiler on-line through the designated portal or any other method for the purpose of record.
5. It shall be the responsibility of the owner of boiler to run and maintain it as per the provisions of the Boiler Act, 1923 and regulations and rules framed under the Act and the owner shall also be responsible for any violation of the provisions.
6. The "Boiler Engineer" shall follow the provisions of the Boilers Act, 1923, rules and regulations framed there under and shall be liable and responsible for any act or omission committed against the provisions of the said Act, rules and regulations.
7. Boiler owner can either engage "Boiler Engineer" as per this notification or "competent person" as per Indian Boiler Regulations, 1950 for inspection and certification of boiler in use.
8. The fees payable for the services would be as per the provisions mentioned in regulation 385 A of the Indian Boiler Regulations, 1950.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,


(V.K. Baronia)

Deputy secretary
Govt. of MP

Industrial Policy and Investment Promotion

पृ. क्रमांक एफ 16-07/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/05/2019

प्रतिलिपि-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए विभाग को 10 प्रतियां भेजने का कष्ट करें।
2. संचालक वाष्पयंत्र, क्वा.न.-3 एवं 4, टाइप IV, बी-सेक्टर, पिपलानी, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, 16-ए, सैंडमेप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Or

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग